संख्या–126/64–सू0प्रौ0अनु0/2003

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

वित्त अधिकारी
उत्तरांचल सचिवालय,
देहरादून।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग। देहरादूनः दिनांक: 08 अगस्त 2003

विषयः– मुख्यमंत्री विवकाधीन कोष की प्रकियाओं को कम्प्यूटरीकृत करने एवं साफ्टवेयर विकसित करने हेतु हिल्ट्रान को अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–03/आई0टी0/नि0अनु0/03–64–नि0 अनु0/2003 दिनांक 30 जनवरी, 2003 एवं हिल्ट्रान के पत्र संख्या–यूपीएचएलसी/सी0एम0–एस/एस0डी0/03/223 दिनांक 09 जुलाई, 2003 के कम में मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष की प्रकियाओं को कम्प्यूटरीकृत करने एवं साफ्टवेयर विकसित करने हेतु उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कुल धनराशि रूपये 13.47 लाख (रू0 तेरह लाख सत्ताइस हजार मात्र) में से अवशेष अंतिम किश्त के रूप में रू0 3.27 लाख (रू0 तीन लाख सत्ताइस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का यथा आवश्यकता आहरण कर ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, हिल्ट्रान को उपलब्ध कराया जायेगा जो अंतिम तकनीकी रिपोर्ट परियोजना पूर्ण कर व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करायेंगे।

3– साफ्टवेयर के विकास के लिए दरें प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर निर्धारित की जायेगी तथा इन्हें मासिक वेतन के अनुसार माह के अंत में भुगतान किया जायेगा।

4– उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा किये गये कार्यो के संन्तोषजनक होने की पुष्टि मुख्यमंत्री कार्यालय एवंएन0आई0सी0 के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5– स्वीकृत कार्यो पर होने वाला व्यय करते समय वित्तीय हस्तुपुस्तिका में बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन से समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा। एन0आई0सी0 से प्राप्त सामानों को बैंच मार्किंग भुगतान के पूर्व पूर्ण कर ली जायेगा।

6– यह सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो उस प्रकरण में व्यय की पूर्व यह अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– उक्तस्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण बी0एम0–13 के निर्धारित प्रारूप पर वित्त एवं नियोजन अनुभाग, उत्तरांचल शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

8— स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

9— योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तरांचल को उपलब्ध कराया जायेगा।

10— योजना के लिए स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और यदि धनराशि व्यय नहीं की गई हो तो उसका समायोजन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

11— इस शासनादेश में निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त कोई विचलन नहीं किया जायेगा।

12— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003—04 के आय व्ययक के अनुदान संख्या—23 के लेखाशीर्षक—4859—इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय—02 इलेक्ट्रानिक्स—आयोजनागत—800—अन्य व्यय—00—05—ई—गर्वनेंस हेतु वेबसाइट एवं पोर्टल तैयार करना—42—अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

13— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—1334 / वि0अनु0—3 / 2003 दिनांक 20 सितम्बर, 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या—126(1) / 64—सू0प्रौ0अनु0 / 2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3— प्रमुख सचिव / ओ0एस0डी0 मा0 मुख्य मंत्री, उत्तरांचल शासन।
4— श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
5— प्रबंध निदेशक, हिल्ट्रान, उत्तरांचल, देहरादून।
6— राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी / समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, देहरादून।
7— वित्त अनुभाग—3, उत्तरांचल शासन।
8— अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तरांचल शासन।
9— गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(राजेन्द्रसिंह)
अनु सचिव।

c:\negi-64 /plug. sexn./2003